(76)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एवं सामाजिक अंकेक्षण पर

हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान्ज, शिमला
द्वारा
जिला चम्बा में प्रशिक्षण कार्यक्रम
(दिनांक 27.08.2007 से 01.09.2007 तक)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला ने जिला चम्बा में *"प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण"* कार्यक्रम आयोजित कर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कारगर बनाने की एक पहल की है ।

यह अधिनियम जुलाई 2005 को लागू हुआ और इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोज़गार देने की गारंटी दी गई है । हिमाचल प्रदेश में यह योजना 2 फरवरी 2006 को लागू हुई । शुरूआत में इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के दो जिले जिला चम्बा और सिरमौर शामिल किये गये । वित्तीय वर्ष 2007–08 में दो नये जिले कांगड़ा और मण्डी को शामिल किया गया ।

अधिनियम के कार्यन्वयन और पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवम् अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को इस विषय में सतर्क करने हेतु यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला चम्बा के बचत भवन में 27.08.2007 को प्रारम्भ हुआ । दो दिन के प्रशिक्षण कक्ष की चर्चा और अध्ययन के बाद सभी प्रशिक्षणार्थियों को दो दलों में बांट कर, दो अलग–2 विकास खण्डों में भेजा गया । विकास खण्ड चम्बा की झुलाड़ा पंचायत तथा विकास खण्ड मैहला कि मंगला पचायत इस सामाजिक अंकेक्षण के लिये चुनी गई ।

उद्देश्य :

1. प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रावधानों एवं सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया से अवगत करवाना ।
2. ग्राम सभा के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण और ग्राम सभा की महत्ता के बारे में जागरूक करना ।
3. राष्ट्रीय रोज़गार अधिनियम को प्रभावित रूप से लागू करना ।

अध्ययन पद्धतिः

ग्राम पंचायत मगला के कुल 7 वार्डों तथा झुलाड़ा के 5 वार्डों में कमशः 597 परिवार तथा 315 परिवार हैं । ग्राम पंचायत मंगला के 597 परिवारों में से केवल 198 परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं इस पंचायत में 47 कार्य योजना के अंतर्गत हुए हैं उनमें से 44 पूर्ण हो सके हैं । ग्राम पंचायत झुलाड़ा में कुल 315 परिवार हैं तथा केवल 196 परिवार ही इस योजना में पंजीकृत हो पाये हैं । झुलाड़ा पंचायत में कुल 44 कार्य योजना के अंतगर्त पारित किये गये तथा उनमें से 38 कार्य पूरे किये जा चुके थे । अन्य छः कार्य प्रकिया में थे । इनके अंकेक्षण के लिए दोनों पंचायतों में प्रशिक्षणार्थियों की दो टीमें भेजी गई, जिनके तीन–तीन समूह बनाये गये जो कि निम्नलिखित हैं । दोनों टीमों ने कुल 36 कार्यों की जांच की ।

1. जागरूकता समूहः आम जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक अंकेक्षण तथा ग्राम सभा की महत्ता के बारे में जानकारी देनी थी, साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों को ग्राम सभा {31.08.2007} में आमंत्रित करना था ।

2. अभिलेख सत्यापन समूहः इस समूह को सभी दस्तावेज़ और मस्टरोल का आंकलन करना था ।

3. भौतिक सत्यापन समूहः इस समूह को कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाईगई परिसम्पतियों की जांच तथा गुणवत्ता को देखना था ।

दोनों टीमों द्वारा दो दिन तक दोनों पंचायतों के विभिन्न वार्डों का दौरा किया गया और दिनांक 31.08.2007 को अपनी–2 विस्तृत रिपोर्ट ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मंगला व ग्राम सभा, ग्राम पंचायत झुलाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की ।

सामाजिक अंकक्षेण की प्रकिया के दौरान तथ्य जो उजागर हुएः

(क) पंजीकरण एवम जॉब कार्ड

1. दोनों पंचायतों (मंगला एवम झुलाड़ा) में कमशः 597 और 315 परिवार है । परन्तु इनमें से केवल कमशः 198 और 196 परिवार ही योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं ।

2. अध्ययन के दौरान दोनों पंचायतों में कई ऐसे परिवार पाए गए जो काम करना चाहते थे । पर जिन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं थी । फलस्वरूप वे पंजीकरण ही नहीं करवा पाए थे ।
3. दोनों पंचायतों में कुछ ऐसे भी परिवार पाए गए जिनका पंजीकरण पंचायत द्वारा इस आधार पर नहीं किया गया क्योंकि उनके परिवार के कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है ।
4. कई मामलों में पंचायतों द्वारा जॉब कार्ड जारी किए गए हैं किन्तु लाभार्थियों को दिये नहीं गए हैं ।
5. अधिकतर लोगों जिन के पास जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं थे ने पूछे जाने पर जॉब कार्ड प्रधान अथवा पंचायत सचिव अथवा पंचायत सदस्यों के पास होने की बात कही ।
6. जॉब कार्ड में संलगित फोटो के लिए लोगों से मंगला पंचायत में 30 रूपये प्रति फोटो की दर से शुल्क लिया जाना भी पाया गया । उक्त राशि की कोई रसीद नहीं दी गई और यह भी ज्ञात नहीं कि यह राशि कहां गई ।
7. एक ही परिवार में रह रहे सदस्यों को अलग–अलग (पति–पत्नी) जॉब कार्ड दिये जाने के भी कुछ मामले सामने आए ।
8. जॉब कार्ड की जांच उपरान्त पाया गया कि लोगों को जॉब कार्ड देरी से उपलब्ध करवाये गये जबकि मज़दूर विभिन्न कार्यों पर पहले ही कार्य कर चुके थे ।
9. विभिन्न कार्यों के मस्टर रोलों पर जॉब कार्ड नम्बर दर्ज न होना पाया गया ।
10. अव्यस्क व्यक्तियों का पंजीकरण एवं जॉब कार्ड जारी होने के मामले भी दृष्टिगत हुए हैं ।

(ख) कार्यों का नियोजन एवं कार्यान्वयन

1. कुल 36 कार्यों में से अधिकतर की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है । परन्तु ग्राम पंचायत की परिपेक्ष्य योजना व वार्षिक योजना उपलब्ध नहीं करवाई गई । सामान्यतः कार्य साधारण प्रस्ताव द्वारा ही पारित किये गये हैं । इस से यह आशंका प्रतीत होती है कि वार्षिक योजना अथवा परिप्रेक्ष्य योजना बनाई ही नहीं गई है ।
2. कार्य स्थल पर जांचे गये कार्य मापन पुस्तिका अनुसार सही पाये गये तथा कार्य की गुणवता संतोषजनक थी । इस विषय में सामान्यतः कोई कमी अथवा शिकायत सामने नहीं आई है ।

(ग) मज़दूरी का भुगतान

1. मजदूरों के व्यक्तव्य मस्टरोल से मेल नहीं कर रहे थे ।
   - मस्टरोल एवम जॉब कार्ड की प्रविष्टियां भी आपस में मेल नहीं कर रही है ।

- कुछ ऐसे भी मामले सामने आये जिनमें मजदूरों ने मस्टरोल में की गई प्रविष्टियों से अधिक दिन अथवा कम दिन काम किया है । इसी तरह मस्टरोल पर अधिक भुगतान दर्शाया गया है जबकि वास्तव में मजदूरों को वह राशि नहीं दी गई है ।

2. ऐसे भी कुछ केस सामने आये हें जिसमें बिना पंजीकरण और जॉबकार्ड के ही मजदूरों ने काम किया है । योजना के प्रावधानों के अनुसार काम केवल पंजीकृत व्यक्तियों को ही दिया जाना चाहिए ।
3 मस्टरोल पर कुछ ऐसे भी मजदूर पाये गये जो अव्यस्क थे यद्यपि उनके जॉब कार्ड बने हुए थे ।
4. सामान्यतः यह देखा गया कि मस्टरोल कार्यस्थल पर नहीं भरे जाते हैं अपितु बाद में उनमें प्रविष्टियां कर दी जाती है ।
5. भुगतान में कुछ समस्याएं सामने आई है जैसा कि मजदूर चैक द्वारा भुगतान नापसंद करते हैं, कयोंकि जिन बैक से ऋण मजदूरों को मिला है, वह उनकी मजदूरी के चैक से ऋण वापिसी करते हैं तथा मजदूरों को कुछ नहीं मिल पाता तथा वे काम पर नहीं आते ।
6. NREGA के कार्यों में पूर्ण भुगतान नकद किया जा रहा है । कहीं भी खाद्यय सामग्री का वितरण देखने में नहीं आया ।

(घ) कार्यालय/कार्यस्थल सम्बधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यः–

1. जिन कार्यों की जांच की गई उन कार्यों में ग्राम पंचायत मंगला में वांछित मजदूरी का हिस्सा 5 प्रतिशत कम पाया गया जो कि 60 प्रतिशत की जगह केवल 55 प्रतिशत रहा तथा ग्राम पंचायत झुलाड़ा में यह संतोषजनक पाया गया ।
2. चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यस्थल पर एवं पंचायत घर के सूचना पट पर कार्यों का विवरण लिखा जाना जरूरी है । परन्तु इस भ्रमण पर पाया गया कि केवल ग्राम पंचायत झुलाड़ा में कार्यस्थल पर बोर्ड लगे थे, मंगला में इस तरह के कोई सूचना पट नहीं थे ।
3. जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मंगला में 30 से अधिक ऐसे मजदूर थे जिन्होंने 100 से अधिक दिन काम किया है । जबकि ऐसे व्यक्ति भी पाए गए जिन्हें काम नहीं मिल पाया है । इससे यह साबित होता है कि काम का वितरण सहीं रूप से नहीं हो पाया है ।
4. यह देखने में आया कि मस्टरोल में कुछ मजदूरों के` पते में ऐसे गांव दर्ज किये गये हैं जो कि न तो ग्राम पंचायत में हैं न ही पड़ोसी पंचायत में है । उदाहरणतः मंगला पंचायत में टपूण वार्ड में डोडा गांव के लोगों को कार्य पर रखा पाया गया है । जिस गांव की ग्राम सभा के किसी सदस्य को कोई जानकारी नहीं थी । ग्राम सभा की बैठक में यह मजदूर भी उपस्थित न थे और न ही ऐसे किसी भी मजदूर के सम्बन्ध में ग्राम सभा में किसी को कोई जानकारी थी ।

(ङ) जानकारी का अभावः

1. सामान्यतः यह अनुभव किया गया कि आम जनता में योजना के सम्बन्ध में ही जानकारी का काफी अभाव है ।
2. यहां तक कि पंचायत कर्मचारियों, प्रतिनिधियों व विभागीय कर्मचारियों में भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के प्रावधानों के बारे जानकारी का काफी अभाव देखने में आया ।
3. आम आदमी को पंजीकरण के लिए आवेदन प्रकिया तथा काम के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाए, दोनों का ही ज्ञान नहीं है ।
4. पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी का अभाव का मुख्य कारण इस विषय पर प्रशिक्षण की कमी बताया गया ।
5. यह भी पाया गया कि न तो ग्रामीण विकास विभाग ने व न ही पंचायती राज विभाग ने अथवा डी.आर.डी.ए. ने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रचार सामग्री न तो तैयार की और न ही वितरित की है ।
6. जॉब कार्ड के बारे में भी जानकारी शुन्य है तथा किये गये कार्य का कोई ब्यौरा जॉब कार्ड पर अंकित नहीं है । इसी प्रकार मस्टरोल पर भी जॉब कार्ड का कोई विवरण उपलब्ध न है ।

(च) अन्य तथ्यः

1. प्राथमिक चिकित्सा व अन्य सुविधायें जो कि अधिनियम के अनुसार कार्यस्थल पर होनी चाहिये थी, का कार्यस्थल पर कोई प्रबन्ध नहीं किया जाना पाया गया । एक विशेष मामले में कार्यस्थल पर एक मजदूर का घायल होना भी ध्यान में लाया गया जिसे किसी भी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा अथवा चिकित्सा व्यय इत्यादि उपलब्ध न कराया गया था ।
2. पंचायतों में स्टॉफ की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है । तकनीकी कर्मचारियों का नितान्त अभाव है व उपलब्ध कर्मचारियों पर भारी मात्रा में कार्य का बोझ है जिससे कार्य की गुणवता, रिकॉर्ड का रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है ।
3. पंचायत द्वारा करवाये गये कामों में पारदर्शिता की कमी भी पाई गई है, क्योंकि ग्राम सभा में पंचायतों द्वारा ग्राम सभा सदस्यों को पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती । यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लोग भी रूची नहीं ले रहें हैं और सम्बन्धित विभागों द्वारा भी जन सहयोग की दृष्टि से कोई भी प्रयास नहीं किया गया है ।

4. ग्राम स्तर पर "सतर्कता" समितियों का गठन ही नहीं किया है और यदि कुछ पंचायतों में ऐसी समितियां गठित की भी गई है तो वे पूर्णतः मृतपयाय स्थिति में है ।
5. मंगला पंचायत में यह पाया गया कि पंचायत प्रधान के पति इसी पंचायत के उप प्रधान है और पुत्र इसी पंचायत के सहायक के रूप में कार्य कर रहा है । पंचायत में कोई पूर्णकालिक सचिव नहीं है ।
6. यद्यपि अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है किन्तु ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि जिला में कहीं भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया है । इसके लिए मुख्य कारण जानकारी न होना और सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया सम्बन्धी जानकारी का अभाव है । ग्राम विकास अभिकरण अथवा पंचायती राज विभाग द्वारा इस दृष्टि से कोई भी प्रयत्न किया जाना दृष्टि में नहीं आया है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का पूरी तरह प्रचार और प्रसार ।
2. 70 सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों का सफल प्रशिक्षण ।
3. 100 से अधिक लोगों द्वारा पंजीकरण कराया गया तथा कार्य के लिए आवेदन किया गया ।
4. जिले में सभी ग्राम पंचायतों तक ग्राम सभा के महत्व का प्रसार और संदेश ।
5. ग्राम सभाओं में मजदूरों को भुगतान की वसूली के लिए प्रस्ताव डाला जाना ।
6. केवल दो दिनों में दोनों पंचायतों (मंगला, झुलाड़ा) में ग्राम सभा करवाना तथा कोरम पूरा करवाना ।

सुझाव

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा जो प्रशिक्षण कक्ष में चर्चा की गई और अनुभवों का आदान–प्रदान हुआ तथा दो ग्राम पंचायतों में जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कियान्वयन का अनुभव रहा के आधार पर इस कार्यक्रम को सुचारू व प्रभावी रूप से कियान्वित करने हेतु निम्न सुझाव सामने आये ।

1. सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया पर खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षण दिया जावे ताकि सभी पंचायतें इस प्रकिया को अपनाने हेतु सक्षम हो सके और कार्यक्रम के कियान्वयन में आ रही खामियों को दूर किया जा सके ।
2. कार्य सम्बन्धी एवं पंचायत स्तर पर निगरानी समीतियों का गठन किया जावे ताकि यह समितिया सामाजिक अंकक्षेण की प्रकिया को प्रत्येक पंचायत में शुरू कर सकें । पंचायत स्तर पर जो विजिलेंस कमेटी पहले से ही है, उसे भी पुनः जीवित किया जावे ।

3. प्रशिक्षणार्थियों ने दोनों पंचायतों के भ्रमण के दौरान पाया कि पंचायतों के प्रयास करने एवं बुलाने पर ही लोग काम मांगने आते हैं । कार्य मांगंने पर पंचायत निवेदन पत्र की रसीद नहीं दे रही है और जॉब कार्ड भी ज्यादातर पंचायत प्रधान, वार्ड सदस्य तथा पंचायत सचिव के पास पाये गये । इन जॉब कार्डों में प्रविष्टियां भी नहीं की गई थी । इससे प्रतीत होता है कि पंचायत तथा गांव स्तर पर जनता में तथा पंचायत प्रतिनिधियों में अभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जानकारी का अभाव है । विभाग को इस सन्दर्भ में ग्राम सभा सदस्यों एवं पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ।

4. कार्यक्रम के रिकार्ड के रखरखाव में जो खामियां पाई गई उसका कारण पंचायतों द्वारा स्टाफ की कमी बताई गई तथा अनुरोध किया गया कि विभाग को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसा की अधिनियम में प्रावधान है और दूसरे राज्यों की तर्ज पर स्टाफ भर्ती करना चाहिए ।

5. सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया के दौरान मस्ट्रोल के रखरखाव में भी कई खामियां सामने आई है । जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के धन के दुरूपयोग के संकेत मिलते हैं । जैसे कि कई बार मजदूरों को दिहाड़ी न्यूनतम दिहाड़ी से ज्यादा देने के लिए उसके दिन बढ़ाये जाते हैं । दूसरा मस्ट्रोल पंचायतों द्वारा कार्यस्थल पर न भर कर बाद में भरा जाता है । इस संदर्भ में विभाग से अनुरोध है कि पंचायत व गांव स्तर की परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी निर्देश दिये जावे ।

7. मजदूरी भुगतान में भी समस्याए आ रही है जिसके फलस्वरूप मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं हो पाता । चैक व्यवस्था को न ही मजदूर पसन्द कर रहे हैं और न ही पंचायत प्रतिनिधि । इस व्यवस्था पर भी विभाग को ध्यान देने की जरूरत है । ताकि भुगतान प्रकिया सरल होने के साथ–साथ पारदर्शी भी हो सके ।

8. कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा व अन्य सुविधायें भी नही होती । इस सन्दर्भ में भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ।

9. जॉब कार्ड में लाभार्थी को किए गए भुगतान की राशि को भी दर्शाया जाना उचित होगा ।

10. कार्यस्थल पर (अथवा कम से कम पंचायत घर में) प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित करवाई जानी उचित होगी ।

11. जॉब कार्ड का परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के पास पाया जाना दण्डनीय अपराध घोषित किया जाना उचित होगा ।

12. कार्यक्रम के कार्यान्वयन में यदि मस्ट्रोल में फर्जी प्रविष्टियां पाई जाए अथवा मजदूरी का फर्जी भुगतान होना पाया जाए तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाना अनिवार्य कर दिया जाए ।

13. कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण परम आवश्यक है । इस हेतु विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिनमें वास्तविक सामाजिक अंकेक्षण भी सम्मिलित हो) किये जाने चाहिए । साथ ही

स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं /अशासकीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने हेतु संगठित प्रयत्न किया जाना भी आवश्यक है ।

14. "सूचना के अधिकार" का व्यापक प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम की गुणवता सुधारने हेतु अत्यत प्रभावी रूप से किया जाना आवश्यक है ।

समस्त NREGA जिलों में

1. योजना की विस्तृत प्रचार–प्रसार एवं जानकारी देने हेतु तुरन्त कार्यवाही की जानी आवश्यक है ।
2. ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को योजना के अधिनियम/नियम/मार्ग निदेशक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विस्तृत एवं सही जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है ।
3. ग्राम स्तर पर VMCs का गठन एवं उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए ।
4. पंचायतों/ग्राम विकास खण्डों/ग्राम विकास अधिकारियों में इस परियोजना की शुरूआत से उपलब्ध धनराशि में कई गुणा वृद्धि हुई है व तदानुसार कार्य की मात्रा भी कई गुणा बढ़ी है । किन्तु इस हेतु कोई भी अतिरिक्त स्टॉफ उपलब्ध नहीं कराया गया । यहां तक कि पूर्व से रिक्त रह रहे पद भी नहीं भरे गए हैं । क्योंकि नरेगा में आवंटित 4 प्रतिशत तक धनराशि इस प्रयोजन से व्यय किये जाने का प्रावधान है । अतः इस विषय में तुरन्त आवश्यक कदम उठाए जाने नितान्त जरूरी है, क्योंकि स्टाफ की कमी से कार्यों की मात्रा व गुणवता दोनों पर विपरीत प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है ।
5. मजदूरी का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।
6. अच्छे कार्य के लिए पंचायत/ब्लॉक/जिला स्तर पर पुरस्कार (व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों प्रकार के) दिये जाने पर विचार किया जा सकता है ।
7. योजना के अन्तर्गत किये गए कार्यों की विस्तृत जानकारी तथा कुल व्यय मजदूरों के नाम व उनके द्वारा लगाई गई दिहाड़ियां व उन्हें किया गया भुगतान प्रत्येक कार्य पर सूचना पट्ट के माध्यम से दर्शाना अनिवार्य किया जाए और इस को सख्ती से लागू भी किया जाए ।

–0–